

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2021/01117/ 23380 जयपुर, दिनांक: 23-11-23

आदेश

विषय:— दिनांक 01.04.2019 के बाद निर्मित वाहनों में मोटरयान विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों द्वारा HSRP लगाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 21063 दिनांक 21.09.2023 में आंशिक संशोधन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2023 को आदेश जारी कर दिनांक 01.04.2019 के बाद निर्मित वाहनों में मोटरयान विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों द्वारा HSRP लगाये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त कार्य हेतु वांछित तकनीकी समाधान विकसित करने में समय लगने के कारण आदेश के बिन्दु संख्या 12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

12. दिनांक 01-04-2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाये जाने की समय सीमा निम्नानुसार है:—

क्रमांक	समस्त वाहन	एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा
1	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है	29 फरवरी 2024
2	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है	31 मार्च 2024
3	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है	30 अप्रैल 2024
4	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है	31 मई 2024
5	ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है	30 जून 2024

उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त निर्देश यथावत रहेंगे।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

Signature valid

RajKaj Ref
5084546



Digitally signed by Manisha Arora
Designation: Commissioner
Date: 2023.11.23 12:05:37 IST
Reason: Approver

क्रमांक: एफ.7(366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2021/01117

23381-389

जयपुर, दिनांक:

23-11-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
4. उपायुक्त (यातायात), पुलिस आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. नोडल अधिकारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम/एचएसआरपी)

Signature valid

RajKaj Ref
5086923



Digitally signed by Manna Lal Rawat
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2023.11.23 12:13:48 IST
Reason: Approved